

अति तत्काल  
आर टी आई मामला

सं. 14036/137/2013-यू टी पी  
भारत सरकार  
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक 12<sup>वा</sup> फरवरी, 2014

सेवा में,

श्री कृष्ण गोपाल,  
पुत्र श्री प्रहलाद कसेरा  
मंगल बाजार, पुरानी बस्ती  
जिला बस्ती - 272002

**विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 14.12.2013 का आवेदन।**

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 7.2.2014 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के तहत यथा परिभाषित 'सूचना' की परिभाषा से परे है और इसलिए इस लोक प्राधिकारी के पास आपके आर टी आई आवेदन के संबंध में साझा करने के लिए कुछ नहीं है। तथापि, इस अनुभाग में प्राप्त आपके दिनांक 18.03.2013 के आर टी आई आवेदन का इस मंत्रालय के दिनांक 18.04.2013 के पत्र सं. 14036/297/2013-यू टी पी के तहत उत्तर दे दिया गया था ( प्रति संलग्न) ।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

०८  
चित्रा नारायण  
(चित्रा नारायण)  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं  
अवर सचिव (डी पी-1)

195  
2/12